बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मी श्री राज किशोर प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एकमा, सारण को "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2003" सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (संशोधन) नियमावली–2006 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली तथा बिहार कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–5152 दिनांक– 21.05.2013 में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम–(5) में अंकित देय तिथि से पे बैन्ड–9300–34800/– ग्रेड पे0–5400/– में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0	कर्मी का नाम/वर्त्तमान पदस्थापन	जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	सरकारी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	आ0नि0 संवर्ग में 30 वर्ष पूर्ण होने की तिथि/तृतीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (अनुमान्य लेवल)
1	2	3	4	5
1	श्री राज किशोर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एकमा, सारण	08.06.1957 30.06.2017	25.02.1985 आ0नि0	25.02.2015 25.02.2015 (ग्रे0पे0–5400)

02. अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर से अनुरोध है कि उपर्युक्त देय सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय उन्नयन का मिलान संबंधित कर्मी के सेवा पुस्तिका से करने के पश्चात् ही अनुमान्य आर्थिक लाभ का भुगतान किया जाए। त्रुटि परिलक्षित होने की स्थिति में अनुशंसा के साथ विभाग को प्रतिवेदित की जाए एवं एतद् संबंधी आदेश के फलस्वरूप यदि अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो इसकी वसूली संबंधित कर्मी से एक मुश्त की जाए ।

(चन्द्र शेखर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र03–(मु0)–37/2019 6355 खाद्य/पटना, दिनांक – 09/10/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव कोषांग/निदेशक–सह–विशेष सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण/अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर एवं अवर सचिव–08 एवं 05, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र03–(मु0)–37/2019 6355 खाद्य/पटना, दिनांक – 09/10/2026

प्रतिलिपिः–श्री राज किशोर प्रसाद, पता–मछुआ टोली, थाना–कदमकुंआ, जिला– पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र03–(मु0)–37/2019 6355 खाद्य/पटना, दिनांक – 09/10/2026

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Nafim